

सं० सं० 14/एम 11-2/14
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
पटना मेडिकल कालेज अस्पताल,
पटना 800004।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.4.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	संगीता देवी पति-जालीम साह मोहल्ला-रोड नं०-20, चकारम पोस्ट-जी०पी.ओ० थाना-बुद्धा कालोनी जिला-पटना	हड्डी रोग	विशेष परिस्थिति में ₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
2	मीना देवी पति-नन्दु राम ग्राम-कादीरगंज पोस्ट-बुधन रोड थाना-दरीगांव जिला-रोहतास, सासाराम	कैंसर रोग	₹ 8,000/- (आठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 58,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 58,000/- (अनठावन हजार) का क्रास चेक सं०.....850015..... मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 534 (14)

पटना, दिनांक - 6-5-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /सभी संबंधित मरीजों को/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
8.5.15

सं० सं० 14/एम 11-2/14
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक
फोर्ड हॉस्पिटल, एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०
रामकृष्णा नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.4.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मालती देवी पति-रामाशंकर सिंह ग्राम+पो०-पीपरा थाना-कुदरा जिला-भभुआ, कैमुर	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
2	कपलु कुमार पिता-बुन्देला प्रसाद ग्राम-कीनुआपर पो०-बांसडीह थाना-थरथरी जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	मो० सोहैल खॉन पिता-स्व. सुलेमान खॉन ग्राम-काशी तकीया पोस्ट-बिहारशरीफ थाना-लहेरी जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
4	बच्ची देवी पति-यदु यादव ग्राम-बंशी बीगहा पो०-सरमेरा थाना-सरमेरा जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
5	जय प्रकाश नारायण सिंह पिता-राम लखन प्रसाद ग्राम-गौवशपुर पोस्ट-खुशहालपुर थाना-इसलामपुर जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।

6	बुधा लाल साव पिता-स्व. एतवार साव ग्राम-हसमपुर पोस्ट-शंकरडीह थाना-उपहरा जिला-औरंगाबाद	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,55,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,55,000/- (तीन लाख पचपन हजार) मात्र का क्रास चेक सं०.....
.....850012..... मूल रूप में संलग्न है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
ह०/-
(डा० राजधारी रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 530 (14)

पटना, दिनांक - 6-5-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/
आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
5-5-15

